

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/431/2013-यू टी पी

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 17th जून, 2013

सेवा में

श्री रामदेव पुत्र श्री बैजनाथ,
ई 52/4, आराधक नगर,
शाहदरा बॉर्डर,
दिल्ली-110095

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 27.5.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 10.06.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायत इस मंत्रालय के दिनांक 8.5.2013 के पत्र सं. 14036/10/2013-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रोषित कर दी गई है और अतः आपका आर टी आई आवेदन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

394
Issued with encl.
1625
19/6.

9/6 22.25.45
(श्रीमती एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-11)
दूरभाष : 23092856

प्रति प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को भेजे जाने के अनुरोध के साथ संलग्न है। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।